DAINIK JAGRAN, Delhi, 14.5.2018

Page No. 6, Size:(6.30)cms X (7.91)cms.

अनिवार्य हो आधार

आधार को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दूसरी सबसे लंबी मौखिक सुनवाई के बाद सभी की नजर इसके फैसले पर है। आधार को दुनिया के बहुत से देश अपनाना चाहते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में मामला होने की वजह से उनमे थोड़ी हिचकिचाहट भी है। भारत सरकार द्वारा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर में आधार की अनिवार्यता से सब्सिडी के सही इस्तेमाल को लेकर दुनिया भर में इसकी प्रशंसा हो रही है। भारत में लगभग 120 करोड़ लोगों के पास आज आधार मौजूद है। आधार को लेकर दुनिया भर की बड़ी कंपनियों ने दावा किया है कि इसकी सुरक्षा में सेंध नहीं लगाई जा सकती। इसके माध्यम से योजनाओं में होने वाले फर्जीवाड़े को काफी हद तक रोका गया है। ऐसे में अब दुनियाभर की नजर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर टिकी है जिसके बाद यह सुनिश्चित हो जाएगा की आधार की अनिवार्यता एक अच्छा कदम था या नहीं। सुप्रीम कोर्ट को इसकी उपयोगिता को लेकर सरकार के फैसले को जारी रखना चाहिए, इससे दुनियाभर में भारत की एक अच्छे कदम को अपनाया जा सकता है।